निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 47 / 2024
दायरा दिनांक:- 04.9.2024
निर्णय दिनांक:- 10.05.25

उनवान

1. सीताराम आयु 64 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम डांगपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांक:- 10.05.25

अभिभाषक उपस्थित:-1. श्री भंवरसिंह जादौन - प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वंय की शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 23 की खसरा संख्या 64 की रकबा 0.3162 है०, खसरा नम्बर 69 की रकबा 3.1237 हैक्टयर, खसरा संख्या 70 की रकबा 0.1265 हैक्टयर कुल किता 03 की रकबा 3.5664 हैक्टयर भूमि वाके माल मोरेली तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/4 स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता का फौती इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से इन्तकाल मे सीताराम के स्थान पर घर मे बोलता नाम छीत्या दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सीताराम है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर छीत्या के स्थान पर सीताराम किया जाना आवश्यक है। जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी मे प्रार्थी का नाम सीताराम दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम छीत्या दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अपने हिस्से की भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर, तारफैन्सिंग कर भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहता है परन्तु जो प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है। प्रार्थी दिनांक 20/08/2024 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गया तो उसे हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम की त्रुटि की जानकारी हुई।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अधिकृत
राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेली सम्वत् 2075–76 खाता संख्या 23 नकल जमाबन्दी ग्राम नूरपुरा उर्फ नयागांव सम्वत् 2076–76 खाता संख्या 44 नकल जमाबन्दी ग्राम डांगपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 8 फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेली तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 हिस्सा स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण खोलतें समय इन्तकाल में सहवन से सीताराम के स्थान पर छीत्या दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सीमाराम है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सीताराम दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में छीत्या दर्ज होने से राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ से वंछित होना पड रहा है प्रार्थी उक्त आराजी पर क्रेडित कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त करना चाहता जो नाम दुरूस्त किये बिना सम्भव नही है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में छीत्या के स्थान पर सीताराम दर्ज किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि मौके पर ग्राम वासियों से पूछताछ करने पर पाया गया कि ग्राम में सभी लोग प्रार्थी को छीत्या ओर सीताराम दोनो कहकर संबोधित करतें है और छीत्या पुत्र मथुरा के नाम से गांव में अन्य कोई व्यक्ति निवास नही करता है प्रार्थी के दस्तावेजों से जॉच करने पर सभी दस्तावेजों में राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम सीताराम दर्ज है ग्राम वासियों एवं दस्तावेजों की जॉच के आधार पर यह सिद्ध होता है कि छीत्या व सीताराम एक ही व्यक्ति है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेली सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 23 में छीत्या पुत्र मथुरा हिस्सा 1/4 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम नूरपुरा उर्फ नयागांव सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 44 में सीताराम पुत्र मथुरा हिस्सा 1/2 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम डांगपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 8 में छीतरलाल उर्फ सीताराम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम ग्राम डांगपुरा एवं नूरपुरा उर्फ नयागांव की जमाबन्दी में सही नाम सीताराम पुत्र मथुरा लाल सही दर्ज हे परन्तु ग्राम मोरेली की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम छीत्या गलत दर्ज है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है प्रार्थी के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र मथुरालाल दर्ज है। हसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का सही नाम सीताराम हे परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम मोरेली में प्रार्थी का नाम छीत्या गलत दर्ज है जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 64 रकबा 0.3152 है0 खसरा नम्बर 69 रकबा 3.1237 है0 खसरा नम्बर 70 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 3 रकबा 3.3564 है0 में प्रार्थी का नाम छीत्या के स्थान पर सीताराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह मर्दाना)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत